

कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, बलरामपुर वनमण्डल, बलरामपुर (छ0ग0)

☎07831-273091, 273092 (Office) 273093 (fax) email :- dfobalrampur@gmail.com

क्रमांक/मा.चि./2024/ 2293

बलरामपुर दिनांक 19/09/2024

प्रति,

मुख्य वनसंरक्षक,

सरगुजा वनवृत्त अम्बिकापुर

विषय :- Diversion of 102.324 ha. forest land for non-forest purpose under forest (Conservation Act, 1980) proposed for Widening of existing road from Ambikapur to Ramanujganj 2-lane/4-lane National Highway 343, in Balrampur and Surguja District in State of Chhattisgarh. (FP/CG/ROAD/147299/2021)

संदर्भ :- (1) अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (भू-प्र./वन(सं एवं सं) अ), अरण्य भवन, सेक्टर-19, नार्थ ब्लॉक, कैपिटल कॉम्प्लेक्स, नवा रायपुर (छ0ग0) का पत्र क्रमांक/भू-प्रबंध/विविध/115-845/1809 नवा रायपुर दिनांक 23.07.2024 एवं (2) कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग, अम्बिकापुर छ. ग. का ज्ञापन क्रमांक/2780/शिल्प/रा.रा.343 अम्बिकापुर दिनांक 17.09.2024

—00—

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र 01 के निर्देशानुसार प्रमुख सचिव महोदय, छ.ग. शासन द्वारा आहुत बैठक दिनांक 29.06.2024 तथा अतिरिक्त प्रमुख सचिव महोदय एवं सचिव महोदय, लोक निर्माण विभाग मंत्रालय, नवा रायपुर के द्वारा वन भूमि व्यपवर्तन प्रकरणों की समीक्षा बैठक दिनांक 02.07.2024 में दिये गये निर्देशानुसार अम्बिकापुर-रामानुजगंज-गढ़वा राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक-343 के उन्नयन/चौड़ीकरण कार्य अंतर्गत वनभूमि व्यपवर्तन प्रस्ताव के संबंध में वृक्षारोपण हेतु अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्र./वन(सं. एवं सं.) अ) (छ.ग.) का पृ.क्र. /भू-प्रबंध/विविध/115-845/1638 नवा रायपुर, दिनांक 05.07.2024 के माध्यम से क्षतिपूर्ति वनीकरण हेतु जिला जांजगीर-चांपा अंतर्गत उपलब्ध राजस्व भूमि कुल 06 स्थानों का रकबा 121.700 हे0 को प्रस्तावित किया गया था। उक्त आदेश के तारतम्य में आवेदक संस्थान द्वारा प्रस्तावित राजस्व भूमि का स्थल निरीक्षण एवं डी.जी.पी एस. सर्वे किये जाने के उपरांत कुल 05 स्थानों का कुल रकबा 104.378 हे0 को क्षतिपूर्ति वनीकरण हेतु चिन्हांकित किया गया है। जिसका विवरण निम्नानुसार है—

स.क्र.	जिला	तहसील	रोपण का स्थल	वन परिक्षेत्र	खसरा क्रमांक	रकबा (हे0)
1	जांजगीर-चांपा	नवागढ़	मुड़पार	बलौदा	657 / 1	17.612
2	जांजगीर-चांपा	पामगढ़	बोरसी	बलौदा	952 / 1	33.698
3	जांजगीर-चांपा	बलौदा	जर्वे-1	बलौदा	230 / 1, 230 / 2,	18.249

स.क्र.	जिला	तहसील	रोपण का स्थल	वन परिक्षेत्र	खसरा क्रमांक	रकबा (हे०)
					257 / 1	
4	जांजगीर-चांपा	चांपा	कोसमंदा-1	चांपा	892 / 1	4.980
5	जांजगीर-चांपा	चांपा	कोसमंदा-2	चांपा	879	29.839
					योग :-	104.378

उपरोक्त चिन्हांकित राजस्व भूमि का डी.जी.पी.एस. सर्वे रिपोर्ट एवं क्षतिपूर्ति वनीकरण का प्रस्ताव वनमण्डलाधिकारी जांजगीर चांपा द्वारा तैयार कर कलेक्टर जिला जांजगीर चांपा के अनापत्ति प्रमाण पत्र सहित प्रस्तुत किया गया है।

अतः उपरोक्तानुसार वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु भारत सरकार, उप कार्यालय नवा रायपुर के प्रेक्षा अनुसार प्रकरण आवश्यक कार्यवाही सादर सम्प्रेषित है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

वनमण्डलाधिकारी

बलरामपुर वनमण्डल बलरामपुर

पृ. क्रमांक/मा.चि./2024/ 2294

बलरामपुर दिनांक/18/09/2024

प्रतिलिपि :-

1. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (भू-प्रबंध) एवं नोडल अधिकारी वनसंरक्षण अधिनियम 1980 छ०ग० रायपुर को अवलोकनार्थ सम्प्रेषित।
2. कलेक्टर बलरामपुर, जिला बलरामपुर-रामानुजगंज को अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग, अम्बिकापुर छ.ग. सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

वनमण्डलाधिकारी

बलरामपुर वनमण्डल बलरामपुर



कार्यालय वनमण्डल अधिकारी, जांजगीर-चाम्पा

तहसील रोड, जगदल्ला चांपा (छ.ग.) पिन-495671

कार्यालयीन ई-मेल - dfo-jchampanag @ gov.in, dfo_jchampana@rediffmail.com

क्रमांक/तक.अधि./6193
प्रति,

चांपा/दिनांक 05-09-2024

✓ कार्यपालन अभियंता,
लोक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग
अंबिकापुर (छ.ग.)

विषय : वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु स्थल निरीक्षण उपरांत परियोजना प्रतिवेदन एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र जारी करने बाबत ।

संदर्भ - आपका प.क./4390 दिनांक 12.06.2024.

उपरोक्त विषयांतर्गत Ambikapur to ramanujganj 2-lane/4lane N.H. 343. In Balrampur and Sarguja District. कार्य हेतु प्रस्तावित 102.324 हे. समतुल्य रकबा हेतु परियोजना प्रतिवेदन वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु स्थल निरीक्षण उपरांत परियोजना प्रतिवेदन एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र मांग की गई है। तदनुसार बलौदा एवं चाम्पा से मौका निरीक्षण कराकर निम्नानुसार ग्रामों का मान्यता प्राप्त क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु परियोजना प्रतिवेदन एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र उप वनमंडलाधिकारी, चांपा के अनुशंसा के आधार पर तैयार कर डी.जी.पी.एस. सर्वे रिपोर्ट, के.एम.एल. फाईल सहित संलग्न है। इसमें ACA हेतु कलेक्टर, जांजगीर-चांपा से अनापत्ति आवश्यक है, तदनुसार आवश्यक कार्यवाही बाबत प्रेषित है-

क.	परिक्षेत्र	तहसील	स्थल	ख.नं.	रकबा हे.
1	बलौदा	नवागढ़	मुड़पार	657/1	17.612
2	बलौदा	पामगढ़	बोरसी	952/1	33.698
3	बलौदा	बलौदा	जर्वे-1	230/1, 230/2, 257/1	18.249
4	चाम्पा	चांपा	कोसमंदा-1	892/1	4.980
5	चाम्पा	चांपा	कोसमंदा-2	879	29.839
				योग	104.378

संलग्न - उपरोक्तानुसार ।

पृ.क्रमांक/तक.अधि./6194
प्रतिलिपि -

1. अ.प्र.मु.व.सं.(भू-प्रबंध/व.सं एवं सं.अ.), नवा रायपुर की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित ।
2. मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित ।
3. कलेक्टर, जिला- जांजगीर-चांपा को सूचनार्थ सम्प्रेषित है ।
4. वनमंडलाधिकारी, बलरामपुर वनमंडल (नोडल अधिकारी) को सूचनार्थ प्रेषित है । वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत व्यवर्तन प्रस्ताव के 1 से 44 बिन्दुओं के निर्धारित चेक लिस्ट क्रमांक में उक्त परियोजना प्रतिवेदन को शामिल करना सुनिश्चित करें ।

वनमण्डल अधिकारी

जांजगीर-चाम्पा वनमण्डल

चांपा/दिनांक 05-09-2024

वनमण्डल अधिकारी

जांजगीर-चाम्पा वनमण्डल

वृक्षारोपण हेतु उपयुक्तता प्रमाण पत्र

परिक्षेत्र अधिकारी का प्रमाण पत्र

मैं श्री सी.आर.राठिया वनपरिक्षेत्र अधिकारी बलौदा परिक्षेत्र, जांजगीर-चांपा वनमण्डल, प्रमाणित करता हूं कि Accredited Compensatory Afforestation के तहत सिंचित मिश्रित वृक्षारोपण कार्य हेतु चयनित स्थल राजस्व (घास) भूमि बोरसी खसरा नंबर 952/1 रकबा 33.698 हैं. के प्रतियोजना प्रतिवेदन में दर्शाये गये समस्त तथ्यों का परीक्षण एवं स्थल निरीक्षण मेरे द्वारा किया गया है तथा परियोजना प्रतिवेदन में दर्शाए गए उपचारण के कार्यों का विवरण एवं मात्रा का विवरण मौके की आवश्यकता के अनुरूप है तथा इससे मैं तकनीकी/वानिकी के दृष्टिकोण से सहमत हूं।

(सी.आर.राठिया व.क्षे.)

वन परिक्षेत्र अधिकारी
बलौदा परिक्षेत्र
वन परिक्षेत्राधिकारी
बलौदा वन परिक्षेत्र

उपवनमण्डलाधिकारी का प्रमाण पत्र

मैं होरेश चन्द्र शर्मा उपवनमण्डलाधिकारी, जांजगीर-चांपा उपवनमण्डल, जांजगीर -चांपा वनमण्डल प्रमाणित करता हूं कि Accredited Compensatory Afforestation के तहत सिंचित मिश्रित वृक्षारोपण कार्य हेतु चयनित स्थल राजस्व (घास) भूमि बोरसी खसरा नंबर 952/1 रकबा 33.698 हैं. के परियोजना प्रतिवेदन में दर्शाए गए समस्त तथ्यों का परीक्षण मेरे द्वारा किया गया है तथा परियोजना प्रतिवेदन में दर्शाये गये उपचारण के कार्यों का विवरण एवं मात्रा का मेरे द्वारा मौके पर अवलोकन कर इसे क्षेत्र की आवश्यकता के अनुरूप होना पाया। मैं इस परियोजना प्रतिवेदन से सहमत हूं तथा कार्य कराए जाने की अनुशंसा करता हूं।

(होरेश चन्द्र शर्मा)

उपवनमण्डलाधिकारी
जांजगीर-चांपा उपवनमण्डल
उपवनमण्डलाधिकारी

वृक्षारोपण हेतु उपयुक्तता प्रमाण पत्र

परिक्षेत्र अधिकारी का प्रमाण पत्र

मैं श्री सी.आर.राठिया वनपरिक्षेत्र अधिकारी बलौदा परिक्षेत्र, जांजगीर-चांपा वनमण्डल, प्रमाणित करता हूँ कि Accredited Compensatory Afforestation के तहत सिंचित मिश्रित वृक्षारोपण कार्य हेतु चयनित स्थल राजस्व (घास) भूमि मुड़पार खसरा नंबर 657/1 रकबा 17.612 हैं. के प्रतियोजना प्रतिवेदन में दर्शाये गये समस्त तथ्यों का परीक्षण एवं स्थल निरीक्षण मेरे द्वारा किया गया है तथा परियोजना प्रतिवेदन में दर्शाए गए उपचारण के कार्यों का विवरण एवं मात्रा का विवरण मौके की आवश्यकता के अनुरूप है तथा इससे मैं तकनीकी/वानिकी के दृष्टिकोण से सहमत हूँ।

(सी.आर.राठिया व.क्षे.)

वन परिक्षेत्र अधिकारी
बलौदा परिक्षेत्र

वन परिक्षेत्राधिकारी
बलौदा वन पक्ष

उपवनमण्डलाधिकारी का प्रमाण पत्र

मैं होरेश चन्द्र शर्मा उपवनमण्डलाधिकारी, जांजगीर-चांपा उपवनमण्डल, जांजगीर -चांपा वनमण्डल प्रमाणित करता हूँ कि Accredited Compensatory Afforestation के तहत सिंचित मिश्रित वृक्षारोपण कार्य हेतु चयनित स्थल राजस्व (घास) भूमि मुड़पार खसरा नंबर 657/1 रकबा 17.612 हैं. के परियोजना प्रतिवेदन में दर्शाए गए समस्त तथ्यों का परीक्षण मेरे द्वारा किया गया है तथा परियोजना प्रतिवेदन में दर्शाये गये उपचारण के कार्यों का विवरण एवं मात्रा का मेरे द्वारा मौके पर अवलोकन कर इस क्षेत्र की आवश्यकता के अनुरूप होना पाया। मैं इस परियोजना प्रतिवेदन से सहमत हूँ तथा कार्य कराए जाने की अनुशंसा करता हूँ।

(होरेश चन्द्र शर्मा)

उपवनमण्डलाधिकारी
जांजगीर-चांपा उपवनमण्डल

उप वन मण्डलाधिकारी
जांजगीर-चांपा वनमण्डल

वृक्षारोपण हेतु उपयुक्तता प्रमाण पत्र

परिक्षेत्र अधिकारी का प्रमाण पत्र

मैं श्री लक्ष्मण राम पैकरा वनक्षेत्रपाल वनपरिक्षेत्र अधिकारी चांपा परिक्षेत्र, जांजगीर-चांपा वनमण्डल, प्रमाणित करता हूँ कि Accredited Compensatory Afforestation के तहत सिंचित मिश्रित वृक्षारोपण कार्य हेतु चयनित स्थल राजरत (धारा) भूमि कोसगंदा-02 खसरा नंबर 879 रकबा 29.839 है, के परियोजना प्रतिवेदन में दर्शाये गये समस्त तथ्यों का परीक्षण एवं स्थल निरीक्षण मेरे द्वारा किया गया है तथा परियोजना प्रतिवेदन में दर्शाए गए उपचारण के कार्यों का विवरण एवं मात्रा का विवरण मौके की आवश्यकता के अनुरूप है तथा इससे मैं तकनीकी/वागिकी के दृष्टिकोण से सहमत हूँ।

(लक्ष्मण राम पैकरा व.क्षे.)

वन परिक्षेत्र अधिकारी
जांजगीर-चांपा वनमण्डल

उपवनमण्डलाधिकारी का प्रमाण पत्र

मैं होरेश चन्द्र शर्मा उपवनमण्डलाधिकारी, जांजगीर-चांपा उपवनमण्डल, जांजगीर -चांपा वनमण्डल प्रमाणित करता हूँ कि Accredited Compensatory Afforestation के तहत सिंचित मिश्रित वृक्षारोपण कार्य हेतु चयनित स्थल राजरत (धारा) भूमि कोसगंदा-02 खसरा नंबर 879 रकबा 29.839 है, के परियोजना प्रतिवेदन में दर्शाए गए समस्त तथ्यों का परीक्षण मेरे द्वारा किया गया है तथा परियोजना प्रतिवेदन में दर्शाये गये उपचारण के कार्यों का विवरण एवं मात्रा का मेरे द्वारा मौके पर अवलोकन कर इसे क्षेत्र की आवश्यकता के अनुरूप होना पाया। मैं इस परियोजना प्रतिवेदन से सहमत हूँ तथा कार्य कराए जाने की अनुशंसा करता हूँ।

(होरेश चन्द्र शर्मा)

उपवनमण्डलाधिकारी
जांजगीर-चांपा उपवनमण्डल
उपवनमण्डलाधिकारी
जांजगीर-चांपा वनमण्डल

कार्यालय कलेक्टर (भू-अभिलेख शाखा) जिला जांजगीर चांपा (छ.ग.)

क्रमांक / 1139 / अ.भू.अ. / रा.नि.-1 / 2024

--: अनापत्ति प्रमाण-पत्र ::--

जांजगीर, दिनांक 04/09/2024

अम्बिकापुर-रामानुजगंज-गढ़वा राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक-343 के उन्नयन/चौड़ीकरण कार्य अंतर्गत वनभूमि व्यपवर्तन प्रस्ताव के संबंध में क्षतिपूर्ति वनीकरण हेतु जिला जांजगीर चांपा अंतर्गत निम्नलिखित स्थानों का कुल रकबा 104.378 हे० को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार का पत्र क्रमांक FC-11/159/2022-FC दिनांक 24/01/2023 के निर्देश की कंडिका 7 के उप कंडिका 6 में उल्लेखित निर्देश Existing afforestation or afforestation raised afresh shall be eligible for ACA after attaining the age of 5 years, provided such plantation meet the preconditions specified hereinabove including predetermined success/survival criteria. Preconditions and criterion of a particular afforestation/plantation shall be evaluated by the local Forest Department by undertaking a visit to such site; के परिपालन में वन मंडलाधिकारी जिला जांजगीर चांपा द्वारा वन विभाग के अधिपत्य किये जाने एवं क्षतिपूर्ति वनीकरण हेतु वनमण्डलाधिकारी बलरामपुर वनमण्डल बलरामपुर का पत्र क्रमांक/मा.चि./2024/1614 दिनांक 18/07/2024 तथा अ.वि.अ. (रा.) जांजगीर का पत्र क्रमांक/2031/अ.वि.अ./स्टेनो/2024 दिनांक 23/08/2024, अ.वि.अ. (रा.) पामगढ़ का पत्र क्रमांक/1332/वाचक/अ.वि.अ./2024 दिनांक 23/08/2024, अ.वि.अ. (रा.) अकलतरा का पत्र क्रमांक/2233/अ.वि.अ./2024 दिनांक 02/09/2024, अ.वि.अ. (रा.) चांपा का पत्र क्रमांक/1726/अ.वि.अ./2024 दिनांक 28/08/2024 के द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रदान करने की अनुशंसा की गई है:-

स. क.	जिला	तहसील	रोपण का स्थल	वन परिक्षेत्र	खसरा नंबर	रकबा (हे.)	मौके पर पूर्व से वृक्षारोपित रकबा (हे० में)
1	जांजगीर चांपा	नवागढ़	मुड़पार	बलौदा	657/1	17.612	17.612
2	जांजगीर चांपा	पामगढ़	बोरसी	बलौदा	952/1	33.698	27.000
3	जांजगीर चांपा	बलौदा	जर्वे-1	बलौदा	230/1, 230/2, 257/1	18.249	18.249
4	जांजगीर चांपा	चांपा	कोसमंदा-1	चांपा	892/1	4.980	4.980
5	जांजगीर चांपा	चांपा	कोसमंदा-2	चांपा	879	29.839	29.839
					योग:-	104.378	97.680

उपरोक्त भूमि को वन विभाग के आधिपत्य किये जाने की स्थिति में गाईड लाईन अनुसार बाजार मूल्य की राशि की सूचना पृथक से दी जावेगी। उपरोक्त ग्रामों का कुल रकबा 104.378 हे० पर पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र क्रमांक FC-11/159/2022-FC दिनांक 24/01/2023 के द्वारा जारी निर्देशों के पालन के शर्त पर क्षतिपूर्ति वनीकरण हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी की जाती है।

कलेक्टर
जिला जांजगीर-चांपा (छ०ग०)

पृष्ठा. क्र०/1140/अ.भू.अ. / रा.नि.-1 / 2024

जांजगीर, दिनांक 04/09/2024

1. कलेक्टर बलरामपुर, जिला बलरामपुर-रामानुजगंज को सूचनार्थ प्रेषित।
2. कार्यालय वनमण्डलाधिकारी बलरामपुर वनमण्डल बलरामपुर जिला बलरामपुर-रामानुजगंज (छ.ग.) को सूचनार्थ प्रेषित।
3. कार्यालय वनमण्डलाधिकारी जांजगीर चांपा वनमण्डल जांजगीर चांपा (छ.ग.) को सूचनार्थ प्रेषित।
4. क्षेत्रीय अधिकारी, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, एन.एच. कैम्पस, पेंशनबाड़ा रायपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ प्रेषित।
5. कार्यालय कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग राष्ट्रीय-राजमार्ग संभाग अंबिकापुर (छ.ग.) को सूचनार्थ प्रेषित।
6. अनुविभागीय अधिकारी (रा.) जांजगीर/पामगढ़/चांपा/अकलतरा जिला जांजगीर चांपा को सूचनार्थ प्रेषित।
7. तहसीलदार जांजगीर/पामगढ़/चांपा/बलौदा जिला जांजगीर चांपा को सूचनार्थ प्रेषित।

कलेक्टर
जिला जांजगीर-चांपा (छ०ग०)